

इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो का शुभारंभ

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि इंडस्ट्रियल एक्सपो केवल मशीनों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं होते, बल्कि उद्योगों, नवाचार, कौशल विकास और निवेश के नए अवसर उपलब्ध कराने का प्रभावी मंच हैं। उन्होंने यह बात शुक्रवार को गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो-2026 के शुभारंभ अवसर पर कही। आपने कहा कि स्थानीय उद्योगों की तकनीकी प्रगति मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास



को नई गति दे रही है। उन्होंने एक्सपो में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन कर आधुनिक मशीनों की कार्यप्रणाली की जानकारी ली

इंजीनियरिंग, मैनुफैक्चरिंग, औद्योगिक उपकरणों और अत्याधुनिक मशीनरी से जुड़ी कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने अपनी तकनीकों और उत्पादों का प्रदर्शन किया। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो-2026 का आयोजन मध्यचर कम्प्युनिकेशन और गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम में गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय गौड़, मध्यचर कम्प्युनिकेशन के लक्ष्मण दुबे सहित उद्योग जगत से जुड़े अनेक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बांधवगढ़ की घायल मिली भालू शावक ‘लूना’ को मिला नया जीवन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में गंभीर रूप से घायल और असहाय अवस्था में मिली पांच माह की मादा स्लॉथ भालू शावक को समय पर बचाव अभियान चलाकर नया जीवन मिला है। मध्यप्रदेश वन विभाग ने शावक का रेस्क्यू कर उसे भोपाल स्थित वाइल्डलाइफ एसओएस के वन विहार भालू बचाव केंद्र पहुंचाया, जहां विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार और पुनर्वास किया जा रहा है। शावक का नाम ‘लूना’ रखा गया है। वन विभाग के अनुसार लूना अपनी मां से बिछड़ गई थी और जंगल में अकेली, गंभीर रूप से निर्जलित तथा एनीमिया से पीड़ित अवस्था में मिली। उसका वजन सामान्य से काफी कम था और बाएं पिछले पैर में गंभीर चोट होने के कारण वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। बांधवगढ़ में बाघ सहित अन्य बड़े शिकारी वन्यजीवों की मौजूदगी को देखते हुए उसके जीवित बचने की संभावना बेहद कम थी। प्रारंभिक चिकित्सकीय जांच में लूना के बाएं कूल्हे के पास पुराना हेयरलाइन फ्रैक्चर मिला। इसके



अलावा बाएं पंजे की एक अंगुली में गहरा घाव, क्षतिग्रस्त नाखून और पंजे के तलवे पर अल्सर पाया गया। वेटरनरी टीम के अनुसार यह चोट संभवतः जंगल में गिरने से लगी थी। उपचार के दौरान उसके घावों की नियमित सफाई और ड्रेसिंग की जा रही है। अब वह अच्छी तरह भोजन कर रही है, उसका वजन बढ़ रहा है और धीरे-धीरे उसका स्वाभाविक चंचल व्यवहार भी लौटने लगा है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के

मानसिक रोगों के उपचार की नई तकनीकों पर कार्यशाला 12 को

नप्र, भोपाल : मानसिक रोगों के उपचार में उपयोग की जा रही अत्याधुनिक तकनीकों रिपीटेड ट्रांसक्रैनिअल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन और डीप टीएमएस पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 12 जुलाई को ताज लेक फ्रंट में किया जाएगा। कार्यशाला के प्रोग्राम डायरेक्टर भोपाल न्यूरो साइकियाट्रिक क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रो.आर.एन. साहू तथा मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जरी विभाग के निदेशक प्रो. परेश दोशी होंगे। कार्यक्रम में निम्हांस बेंगलुरु, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री रांची और कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मंगलुरु सहित देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ भाग लेंगे। प्रो. निशांत गोयल, डॉ. समीर कुमार प्रहराज, डॉ. श्याम सुंदर अरुमुगम और डॉ. अनिरुद्ध मुखर्जी प्रमुख वक्ता होंगे। डॉ. साहू ने बताया कि आरटीएमएस और डीप टीएमएस नॉन-इनवेसिव तकनीकें हैं, जिनमें चुंबकीय तरंगों के माध्यम से मस्तिष्क के विशिष्ट हिस्सों को सक्रिय किया जाता है। इनका उपयोग दवाओं से नियंत्रित न होने वाले अवसाद, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, नशा मुक्ति, चिंता संबंधी विकारों के साथ ही पार्किंसन रोग, स्ट्रोक के बाद पुनर्वास, माइग्रेन और अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के उपचार में भी किया जा रहा है।

लापरवाही पर नगर निगम की सख्ती

डेढ़ सौ अधिकारियों-कर्मचारियों का वेतन रोका

विकास कार्यों और राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: नगर निगम प्रशासन ने कार्यों में लापरवाही और निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं करने वाले 150 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के जून माह के वेतन पर रोक लगा दी है। कार्रवाई की जद में इंजीनियर, जोनल अधिकारी, वार्ड प्रभारी तथा विभिन्न शाखाओं के कर्मचारी शामिल हैं। अब संबंधित अधिकारियों का वेतन नगर निगम आयुक्त की अनुमति के बाद ही जारी किया

जाएगा। नगर निगम के अनुसार विभिन्न शाखाओं में विकास कार्यों और राजस्व वसूली की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर यह निर्णय लिया गया। सीवेज और सिविल शाखा के कई विकास कार्य धीमी गति से चलने के कारण संबंधित इंजीनियरों का वेतन रोका गया है। वहीं संपत्ति कर और अन्य मदों की वसूली लक्ष्य से कम रहने पर जोनल अधिकारियों और वार्ड प्रभारियों के वेतन पर भी रोक लगा दी गई। अन्य शाखाओं के ऐसे कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई है, जिनकी कार्यप्रणाली में लापरवाही पाई गई। वेतन रुकने के बाद संबंधित अधिकारी और कर्मचारी वित्त

विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम आयुक्त की स्वीकृति के बाद ही वेतन जारी करने पर निर्णय लिया जाएगा। हाल ही में आयोजित समय-सीमा समीक्षा बैठक में नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने विकास कार्यों और राजस्व वसूली की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इधर, नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी अभियान भी जारी है। संत हिरदराम नगर, ईदगाह हिल्स, कोलार चूना भट्टी, पुष्पा नगर और राहुल नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में नालियों पर किए

गए अवैध निर्माण, चबूतरे और फर्शियां हटाई गईं। सेकेंड स्टॉप क्षेत्र से यातायात में बाधा बन रहे 10 चार पहिया वाहन और 10 लॉडिंग ऑटो हटाए गए। साथ ही फुटपाथों पर लगी सब्जी की दुकानें, ठेले, गुमठियां और दुकानों के बाहर रखा सामान भी हटाया गया। आयुक्त संस्कृति जैन ने कहा कि विकास कार्यों और राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। निर्धारित लक्ष्य पूरे करने और संतोषजनक कार्यप्रगति दिखाने के बाद ही संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन जारी करने पर विचार किया जाएगा।



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का पदोन्नत डिटी कलेक्टर ने पुष्प-गुच्छ और पुष्पहारों से अभिनंदन किया।

पेंशनर्स एसोसिएशन ने ईपीएफ योजना-2026 का किया विरोध

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राष्ट्रीय ईपीएस-95 पेंशनर्स एसोसिएशन ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना-2026 का विरोध करते हुए सरकार से इस पर पुनर्विचार की मांग की है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय संरक्षक अजय श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण वर्मा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओ.पी. सोनी ने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था से कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों के हित प्रभावित होंगे और भविष्य में लाखों कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। एसोसिएशन का दावा है कि नई व्यवस्था में संपूर्ण वेतन के बजाय निर्धारित सीमा तक ही 12 प्रतिशत अंशदान होने से कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा राशि कम होगी। इससे उन्हें दीर्घकाल में वित्तीय नुकसान होने की आशंका है। संगठन ने यह भी कहा कि ईपीएस-95 पेंशनर्स को न्यूनतम 7,500 रुपये मासिक पेंशन, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा देने की मांग लंबे समय से लंबित है। संगठन के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, श्रम मंत्री और ईपीएफओ आयुक्त से कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए योजना-2026 को समीक्षा करने तथा पेंशनर्स की मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो देशभर में ईपीएफ कार्यालयों पर प्रदर्शन, तालाबंदी, जेल भरो आंदोलन और आमरण अनशन जैसे आंदोलन किए जाएंगे।

मुस्लिम रिलीजियस अफेयर्स कमेटी के चुनाव संपन्न

दिलशाद अहमद बने अध्यक्ष

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: जामा मस्जिद, भेल स्थित मुस्लिम रिलीजियस अफेयर्स कमेटी के त्रैवार्षिक चुनाव शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए। सभी पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचन किया गया। निर्वाचन परिणाम के अनुसार दिलशाद अहमद को अध्यक्ष, शमशाद अली को उपाध्यक्ष, इफ्फान खान को सचिव, आदिल अली को संयुक्त सचिव तथा रफीक खान को कोषाध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा कमेटी के 16 कार्यकारी सदस्यों का भी निर्विरोध निर्वाचन हुआ। नवनिर्वाचित

पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने जामा मस्जिद तथा समाज के धार्मिक, सामाजिक एवं जनहित से जुड़े कार्यों को पारदर्शिता, आपसी सहयोग और समर्पण की भावना के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया। कमेटी ने चुनाव प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सहयोग देने वाले सभी मतदाताओं, गणमान्य नागरिकों, स्वयंसेवकों तथा प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं कार्यकारी सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि नई टीम समाजहित एवं जनकल्याण के कार्यों को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाएगी।

मंत्री संपतिया उड़के ने सुनीं कार्यकर्ताओं की समस्याएं



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: कैबिनेट मंत्री संपतिया उड़के ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेशभर से

आए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी जनसमस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। मंत्री ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों के त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वच्छता नियमों का पालन अब सबकी जिम्मेदारी

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026

1 अप्रैल 2026 से लागू

अब घर से ही कचरे का पृथक्करण अनिवार्य

- गीला, सूखा, सैनिटरी, स्पेशल-केयर चार अलग श्रेणियों में कचरा दें, ताकि सही निपटान हो सके।

राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल से पूरी व्यवस्था पारदर्शी

- रजिस्ट्रेशन, रिपोर्टिंग और पब्लिक डैशबोर्ड से अब हर शहर की स्वच्छता प्रगति सबके सामने।

नियम तोड़ने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्रवाई

- थोक कचरा उत्पादकों (BWG) के लिए नई व्यवस्था।
- ऑन-साइट प्रोसेसिंग करें या अधिकृत व्यवस्था के तहत जिम्मेदारी निभाएं।
- कचरा अलग होगा, तो शहर बेहतर होगा।
- स्वच्छता में सहयोग करें, नए नियमों का पालन करें।

स्वच्छ शहर-स्वस्थ नागरिक-सुरक्षित भविष्य

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

D-11053/26 आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2026